

पूरक दस्तावेज

निवासी पुत्र आयु
जिसे मूल दस्तावेज में प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

निवासी पुत्र आयु
जिसे मूल दस्तावेज में द्वितीय पक्ष कहा गया है।

चूँकि उक्त मूल दस्तावेज में विक्रीत के स्थान पर सहवन से मकान
नम्बर/खसरा नम्बर के स्थान पर मकान नम्बर/खसरा नम्बर
अंकित हो गया है जबकि वास्तविक रूप से निम्न सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण किया गया है।

सम्पत्ति का विवरण

पूर्व उत्तर पश्चिम
दक्षिण

रकबा/क्षेत्रफल

निर्माण का क्षेत्रफल (यदि कोई हो)

अतः उक्त पूरक दस्तावेज के माध्यम से मूल दस्तावेज को संशोधित किया गया है न कोई नया दस्तावेज नि पादित नहीं किया गया है।

साक्षीगण हस्ताक्षर प्रथम पक्ष
हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

(1)

(2)